नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	12-7-24	पत्रावली उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र 0।2।10 CPC पर बहस सुनी विद्वान वादी अधिवक्ता द्वारा कोई एतराज नहीं जताया गया जिसको स्वीकार किया अतएव एवं वादी द्वारा प्रतिवादी सं0-1 को पक्ष किया जाना 0।2।10 CPC के उपबन्धित संशोधन को मामले में जोड़ा जाता है साथ ही वादी द्वारा सं0 सीमित पेश किया एवं कागज सं-3 के साथ दस्तावेज पेश कर दोनों अधिवक्ता को द्वारा सहमति से दावा को FD करने हेतु प्रार्थना पेश कर निवेदन किया गया। पत्रावली व दावा का अवलोकन किया गया बहस वकील पर मनन किया गया। दावा मुताबिक राजीनामा के आधार पर वाद वादी अंतिम रूप से डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है जिसके दावा वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाता। शा0 नि0 किया गया तदनुसार फर्द डिक्री जारी होगा पत्रावली बाद तामील होना दर्ज रजिस्टर से अलग होकर जिला अभिलेखागार दाखिल हो। हुक्म [signature] 12/7/24 SDM	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 1 / 240 / 2021 दायर दिनांकः– 15 / 9 / 2021

जीसीएमएस नं0:–2021 / 403 निर्णय दिनांकः– 12 / 07 / 2024

बउनवान

1. नीतू पत्नि परसराम जाति जाट निवासी भजीट तहसील अलवर जिला अलवर।

––वादी

बनाम

1. रामधन पुत्र नारायण जाति मीणा निवासी रेटी तहसील कठूमर, जिला अलवर।
2. तहसीलदार कठूमर बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील कठूमर जिला अलवर।

–– प्रतिवादीगण

दावा तकसीम व हुक्मइन्तनाई अन्तर्गत धारा–53,188

राजस्थान काश्तकारीअधिनियम, 1955

उपस्थितिः–श्री सत्येन्द्र चौधरी–अधिवक्ता वादी

श्री रामजीतसिंह कुपासिया–अधिवक्ता प्रतिवादी

–:निर्णयः–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद तकसीम व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य के इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 563 रकबा 0.68 हैक्ट0 वाके ग्राम रेटा तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त विवादीत आराजी में वादी का 2/3 हिस्सा व .शेष. हिस्सा प्रतिवादीगण की सयुंक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है उक्त आराजी का अभी कानूनी तकासमा नहीं हुआ है।लगान सरकारी शामलात में अदा कर रहे है। अब पक्षकारान के मध्य शामलात काश्त करने में आपस में झगडा होते रहते है। प्रतिवादीगण विवादित आराजी में शामलात में काश्त करने में रूचि नहीं लेते है इस वजह से कम फाल पैदा होती है।वादी विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहता है।वादी ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा बावत कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। प्रतिवादीगण झगडालू किस्म के व्यक्ति है, जो विवादित आराजी में वादी के हिस्सा के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है, झगडा करते है, तथा बिना तकासमा कराये विवादित आराजी को रहन बय करना चाहते है। अतः वादी ने विवादित आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

दुरी आराजी तकासमा कराने, प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने व मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलबी जरिये सम्मन भिजवाये गये। प्रतिवादी सं0 1, हाजिर अदालत होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। एवं प्रतिवादी संख्या 2 उप0 होकर जवाब पेश नही करना चाहा जिसके कारण उनका जवाब बन्द किया गया है। वादी ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 वाके ग्राम रेटा की सत्य प्रतिलिपी पेश की है, जो शामिल पत्रावली है।एवं [illegible]वादी संख्या 1 ने हाजिर अदालत होकर प्रार्थना पत्र ऑर्डर 1 रूल 10 जाप्ता दीवानी पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र ने आराजी खसरा नम्बर 563 रकबा 0.68 हैक्ट0 वाके ग्राम रेटा को दिनांक 10.09.2021 को रामधन पुत्र नारायण जाति मीना निवासी रेटी को जरिये रजिस्टर बयनामा बेचान कर दिया है,प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा उक्त बयनामा की नकल छाया प्रति पेश की जो शमिल पत्रावली कि गयी, तब वादीया को उक्त बेंचान की जानकरी हुई। जबकी राम्धन का उक्त आराजी पर आज तक कोई कब्जा नहीं है, लेकिन बयनामा के आधार पर अब प्रतिवादी संख्या 1 के उक्त आराजी में जो हक वो अधिकार थे, वो अब केता रामधन के हक में निहित हो चुके है, जिसके कारण उक्त विचाराधीन वाद कि श्रंखला में जोडे जाने का निवेदन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दावा में रामधन जोडे जाने की अनुमती दी गई है। विवादित वाद में से वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को तर्क किये जाकर प्रतिवादी संख्या 1 रामधन का जोडने की सहमति दी गई, जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र का नाम तर्क किया जाकर रामधन जोडा गया है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत जमाबन्दी के अवलोकन से यह साबित है कि आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा बेचान कर दिंया है,प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा उक्त बयनामा की नकल छाया प्रति पेश की जो शमिल पत्रावली कि गयी, तब वादीया को उक्त बेचान की जानकरी हुई। जबकी राम्धन का उक्त आराजी पर आज तक कोई कब्जा नहीं है, लेकिन बयनामा के आधार पर अब प्रतिवादी संख्या 1 के उक्त आराजी में जो हक वो अधिकार थे, वो अब केता रामधन के हक में निहित हो चुके है, वादी एवं प्रतिवादी सं0 1, कि ओर से उनके अधिवक्ता ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर उक्त दावा में वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष से दोना पक्षकार सहमत है। दावा में नक्शा ट्रैस पेश किया गया जिसमे आराजी खसरा नम्बर 563 में तर्फ उत्तर को 2/3 हिस्सा वादी का व तर्फ दक्षिण में 1/3 हिस्सा प्रतिवादी रामधन का है, दावा के आधार पर कब्जे के मुताबिक दिशाओं के आधार पर दावा डिकी किये जाने का निवेदन किया गया है। राजीनामा शामिल पत्रावली है।

12.3.24
[illegible]ड अधिकारी
[illegible]र (अलवर)

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत रेकार्ड राजीनामा का अवलोकन किया व बहस वकुलाय सुनी गई। है। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1, ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर उक्त दावा में वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष से दोना पक्षकार सहमत है,एवं दावा में नक्शा ट्रैस पेश किया गया है जिसमे आराजी खसरा नम्बर 563 रकबा 0.68 हैक्ट0 में तर्फ उत्तर को 2/3 हिस्सा वादी का व तर्फ दक्षिण में 1/3 हिस्सा प्रतिवादी रामधन का है, दावा के आधार पर कब्जे के मुताबिक दिशाओं के आधार पर दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है। जिस पर किसी पक्षकार ने कोई आपत्ति नहीं की है। अतः मुताबिक राजीनामा के आधार पर वाद वादी अंतिम रूप से डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

—:आदेशः—

अतः दावा वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 563 रकबा 0.68 हैक्ट0 में तर्फ उत्तर को 2/3 हिस्सा वादीया नीतू का व तर्फ दक्षिण में 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 रामधन को दिये जाकर तहसीलदार कठूमर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा व तकसीम/राजीनामा में मिली आराजी बाबत अलग अलग खाता कायम करें। नक्शा ट्रैस निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 12.07.2024 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.7.24

सुखाराम पिण्डेल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी:– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्या:– 1 / 240 / 2021 दायर दिनांक:– 15 / 9 / 2021

जीसीएमएस नं0:–2021 / 403 निर्णय दिनांक:– 12 / 07 / 2024

बउनवान

1. नीतू पत्नि परसराम जाति जाट निवासी मजीट तहसील अलवर जिला अलवर।

—डिक्रीदारान्

बनाम

1. रामधन पुत्र नारायण जाति मीणा निवासी रेटी तहसील
2. तहसीलदार कठूमर बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील कठूमर

— मदयूनान्

दावा तकसीम व हुक्मइंन्तनाई अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्तकारीअधिनियम, 1955

अतः दावा वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 563 रकबा 0.68 हैक्ट0 में तर्फ उत्तर को 2/3 हिस्सा वादीया नीतू का व तर्फ दक्षिण में 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 रामधन को दिये जाकर तहसीलदार कठूमर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा व तकसीम/राजीनामा में मिली आराजी बाबत अलग अलग खाता कायम करें। नक्शा ट्रैस निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

आज दिनांक 12.07.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय सील से जारी हुई।

12.7.24

सुखाराम पिण्डेल(आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)